न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–186 / 2017
बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा बनाम सत्यनारायण कुमार साहु

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
19/11/2019	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा के पत्रांक–1188 / उ0 दिनांक–22.09.2017 से प्राप्त उत्पाद वाद सं0–1485 / 17 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन निबंधन सं0–BR07P-9179 (Three Wheeler) को राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। समान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि गुप्त सूचना के आधार पर अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा के नेतृत्व में सशस्त्र बल के साथ एल0आई0सी0 ऑफिस, लहेरियासराय वी0आई0पी0 रोड में छापामारी की गयी। छापामारी एवं वाहन तलाशी के क्रम में ऑटो रिक्शा पंजीयन सं0–BR07P-9179 को रोकने के क्रम में ऑटोरिक्शा का चालक फरार हो गया। ऑटो रिक्शा की तलाशी लेने पर 14 प्लास्टिक के कैरेट में अवैध विदेशी शराब जिसमें 10 कैरेट में 180*ml* का ब्लैक डीलक्स व्हिस्की ब्रॉड का टेटरा पैक 1279 पीस एवं 4 कैरेट में रॉयल स्टैग ब्रॉड का 65 पीस विदेशी शराब सीलबंद बरामद किया गया। इस प्रकार कुल 278.970 लीटर अवैध विदेश शराब बरामद किया गया, जिसे उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन एवं चौर्य व्यापार प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिए। विपक्षी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी वाहन स्वामी उक्त जब्त ऑटो रिक्शा के स्वामी हैं, वास्तविक में उक्त वाहन के चालक नहीं हैं। घटना के पूर्व वे उक्त वाहन को सार्वजनिक विवाह भवन बाकरगंज में लॉक लगाकर उत्तर प्रदेश विवाह में चले गये थे। जब वापस आए तो वाहन को नहीं पाये। उक्त वाहन का पता लगाने पर पता नहीं लग सका। सूचना आवेदन के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को इस आश्य की सूचना दी गयी। कुछ दिनों के पश्चात् जानकारी प्राप्त हुआ कि उत्पाद विभाग द्वारा वाहन जब्त किया गया है। वाहन के कागजात के साथ उत्पाद विभाग में वाहन विमुक्ति हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु वाहन विमुक्त नहीं किया गया। अतः जब्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय। उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन एवं चौर्य व्यापार किया जा रहा था, जिसे उत्पाद विभाग के पदाधिकारी द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में पकड़ा गया और	

जब्त किया गया। विपक्षी द्वारा अपने कारण पृच्छा के समर्थन में कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी वाहन स्वामी को वाहन चोरी होने की आशंका पर उनके द्वारा नियुक्त चालक अथवा अन्य के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। चूँकि उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन एवं चौर्य व्यापार में विधिवत जब्त किया गया है, उक्त वाहन से अवैध शराब का परिवहन बिहार उत्पाद अधिनियम–2016 का घोर उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है।

अतएव बिहार उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा–56(घ) के तहत जप्त ऑटो रिक्शा निबंधन संख्या– BR07P-9179 को राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त, उत्पाद बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा